

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1163 / 1994
संस्थान दिनांक 14.12.1994

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

कालु पिता बाबर, आयु 46 वर्ष,
निवासी-ग्राम काजल्या, थाना बामनिया,
जिला झाबुआ,

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 31.03.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 319/1994 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 14.12.1994 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 07.12.1994 को समय 8:30 बजे, ग्राम बरूफाटक के पास ए.बी. रोड़ पर मृतक कैलाश को वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 14 बी. 0921 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर कैलाश को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने मृतक कैलाश का शव परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार किया गया जिस पर प्रदर्शपी 7 अंकित किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी शिवराम के घर पर उसके छोटे भाई जगदीश का काका ससुर कैलाश ग्राम ओझर का आया था। घटना दिनांक 07.12.1994 को वह खेत पर गया था कि ए.बी. रोड़ पर उसे प्रातः 8:30 बजे कोई अज्ञात ट्रक चालक उसके ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक खुरमपुरा की ओर से चलाकर आया एवं उसे

टक्कर मारकर ट्रक को सेंधवा की ओर चला गया। टक्कर मारने की बात फरियादी उसे जगदीश ने बताई थी फिर वह घटनास्थल पर गया था जहाँ कैलाश के सिर पर चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने फरियादी शिवराम द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 319/1994 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। पुलिस ने मृतक कैलाश के शव का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 2 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 3 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षी नत्थु की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया, अभियुक्त कालु से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.14 बी. 0921 मय दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त कालु को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री अनिल मोहनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण नहीं किया गया तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.12.1994 को समय 8:30 बजे, ग्राम बरुफाटक के पास ए.बी. रोड़ पर मृतक कैलाश को वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 14 बी. 0921 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर कैलाश को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में नत्थु यादव (अ.सा.1), जगदीश (अ.सा.2), गोपाल (अ.सा.3), मोहनसिंह (अ.सा.4) एवं जगदीश पिता नत्थुलाल (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में शिवराम यादव अ.सा. 1 का कथन है कि मृतक कैलाश उसके भाई जगदीश का काका ससुर था। दिनांक 07.12.1994 को जगदीश शर्मा दिन के 8-9 बजे उसके घर पर आया और बताया कि उसके खेत के पास उसके रिश्तेदार की दुर्घटना हो गई, फिर वह रामप्रसाद के साथ मौके पर गया था। मौके पर से वे ठीकरी थाने गये। एक ट्रक जो इन्दौर से बाम्बे जा रहा था, ने उसके रिश्तेदार कैलाश की बैलगाड़ी को टक्कर मार दी थी, उक्त ट्रक का क्रमांक एम.पी. 14 बी. 0921 था, ने जिससे कैलाश की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर और लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्शपी 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर सवीकार किये हैं।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना हुई उस समय वह मौके पर नहीं था। उसने रिपोर्ट की उसे उस समय वाहन का क्रमांक नहीं मालूम था। उसने पुलिस को रिपोर्ट में नम्बर भी नहीं लिखाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका संबंधी मदिरा पीकर गिर गया था और उसने दुर्घटना कि मिथ्या रिपोर्ट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वाहन का क्रमांक उसे दो-तीन दिन बाद मालूम हुआ था।

9. जगदीश अ.सा. 2 ने भी 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को ट्रक वाले द्वारा टक्कर मारने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वह पड़ोस के खेत वाला आदमी था, तो उसने उसके रिश्तेदारों को खबर की थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को ट्रक का क्रमांक एम.पी. 14 बी. 0921 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम।

10. गोपाल अ.सा. 3, मोहनसिंह अ.सा. 4, जगदीश पिता नत्थुलाल अ.सा. 5 ने अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षियों से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने न्यायालय के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 4 और 5 का कथन देने से भी इंकार किया है। जगदीश अ.सा. 5 ने यह स्वीकार किया कि कैलाश को एक ट्रक ने तेजी से चलाकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उक्त साक्षी ने भी अभियुक्त की पहचान ट्रक चालक के रूप में नहीं की थी।

11. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में जबकि परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर ट्रक को लोक मार्ग पर उतालेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कैलाश की मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है। यहाँ तक कि साक्षियों ने घटना देखना भी नहीं बताया है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त कालु के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त कालु को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टक क्रमांक एम.पी. 14 बी 0921 दिनांक 12.12.1994 को उसके पंजीकृत स्वामी/आवेदक फकरुद्दीन पिता शरीफुद्दीन, निवासी मौमीनपुरा, थाना रतलाम, जिला रतलाम को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी